



**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA, LUCKNOW**

WARD :

PERMIT NO : MAP - 20180618162722810

PRINT DATE : 22.06.2019

FILE NO. : 32/AA MANCHITRA/18

SCHEME : SHALIMAR K.S.M.B.

PROJECT NON SCHEME MAP APPROVAL

PROPERTY : REVISED LAYOUT

SITE OF : GHAILA & ALINAGAR

NAME : SHALIMAR K.S.M.B. PROJECTS

**ADDRESS : SHALIMAR K.S.M.B. PROJECT 24,
NEW BERRI ROAD, LUCKNOW**

Sectioned wide order dated 07.03.2019 of prescribed Authority permission to development granted as sectioned revised layout enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below

Date o Validity : 06.03.2024

Restriction If Required :

Signature of the competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

प्रतिबन्ध :-

1. भू-स्वामित्व एवं क्षेत्रफल सम्बन्धी भूमि विवाद के सम्बन्ध में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. ग्राम-चैला एवं अलीनगर के अन्तर्गत गूल, नाली, चकरोड पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। प्रस्तावित/निर्मित सुविधाओं के अन्तर्गत पडने वाले चकमार्गों के विनियम हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही करने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
3. विद्युत संयोजन एवं वितरण की समुचित व्यवस्था कराने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का रहेगा, जिसको स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
4. ले-आउट में दर्शित भूखण्डों का पृथक-पृथक मानचित्र नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराना होगा।
5. 900 K.L.D क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के अतिरिक्त 1600 K.L.D क्षमता की पूर्ति हेतु 700 K.L.D क्षमता का एस0टी0पी0 प्रस्तावित किया गया है, जिसे पूर्णता प्रमाण-पत्र से पूर्व अनिवार्य रूप से बनाना होगा एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट डिस्पोजल के सम्बन्ध में डिटेल प्रस्तुत करनी होगी।
6. रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा एवं इसको प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखना होगा।
7. प्रस्तावित प्रत्येक रो-हाउसिंग भूखण्ड पर एकल आवास की स्वीकृति देय होगी एवं तदनुसार ही एकल इकाई का निर्माण अनुमन्य होगा।
8. संशोधित तलपट मानचित्र पर अंकित बन्धक भूमि को नियमानुसार अवमुक्त कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा।
9. बन्धक विलेख की शर्तों तथा प्रार्थना पत्र एवं शपथ-पत्र के कथनों का अनुपालन पक्ष के लिये सदैव बाध्यकारी रहेगा।
10. अवस्थापना सुविधायें जैसे-सीवर ट्रीटमेन्ट एवं कूड़ा निस्तारण हेतु आरक्षित क्षेत्रफल को मानक के अनुरूप रखते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अपेक्षा अनुसार एस0टी0पी0 का विकास, सीवर तथा कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था पक्ष द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी।
11. विद्युत कनेक्शन, वर्षा जल का निकास, पीने के पानी की व्यवस्था आदि का विकास तथा कनेक्टीविटी पक्ष द्वारा स्वतः सुनिश्चित की जायेगी।
12. कालोनी के विकास तथा नगर निगम/स्थानीय संस्थाओं को स्थानान्तरण किये जाने तक रख-रखाव आदि की जिम्मेदारी स्वयं पक्ष की होगी।
13. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत होने वाले समस्त निर्माण/विकास को निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।
14. ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु स्थल पर जलाशय, रिचार्ज/पिट तथा रिचार्ज शैप्ट का निर्माण शासनादेशानुसार कराये जाने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
15. सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान पर ऐसे पेड़-पौधों का वृक्षारोपण कराया जाय, जिससे जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।
16. लैंड स्कैप प्लान/वृक्षारोपण का शासनादेशानुसार प्राविधान सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 04.12.2018 के कथनानुसार पूर्व स्वीकृत/निर्मित गुप हाउसिंग तथा कम्युनिटी सेन्टर के मानचित्रों का संशोधित मानचित्र अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराने होंगे, उल्लंघन की दशा में पुनरीक्षित तलपट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
18. प्रस्तुत किये गये संशोधित बन्धक विलेख में बन्धक भूमि का कोई विक्रय/निर्माण तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक नियमानुसार अवमुक्तीकरण न करा लिया जाय।
19. सभी विभागीय अनापत्तियों में अंकित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. भविष्य में यदि कोई देयता निकलती है तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
21. निर्माण/विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
22. पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ववत् पालन करना होगा।
23. प्रश्नगत भूमि/भवन के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाये जाने की पुष्टि होती है तो धारा-15(9) के अन्तर्गत स्वीकृत संशोधित मानचित्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 20/12/2019

FILE No : 05/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004200930820

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-08, BLOCK-B, ALFA SECTOR,
VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : अनाधिक के दूध मात्र का चक्का समस्त

प्रतिवर्षी का मात्र मात्र अधिकार है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 18/12/2019

FILE No : 06/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004140033873

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-02 BLOCK-A, P.NO.-03
BLOCK-B, P.NO.-02, 04, 06 BLOCK-C, P.NO.-03, 05
BLOCK-D, P.NO.-02, 04 BLOCK-E, P.NO.-08, 10
BLOCK-F, P.NO.-02 BLOCK-H & 02 BLOCK-G, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के पूरे आवासीय चरण समाप्त
प्राथमिकता का पालन करार करी जाये।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 24/12/2019

FILE No : 27/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004191137763

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-02, 04 BLOCK-B,

P.NO.-03 & 05 BLOCK-C & P.NO.-02, 04 & 06 BLOCK-D,

P.NO.-03 & 05 BLOCK-E, P.NO.-09 & 11 BLOCK-F &

P.NO.-03 BLOCK-H, ALFA SECTOR, VILL-GHAILA,

ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के पूरक आवासीय परियोजना परियोजना का पालन करवा दिया जायेगा*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैंड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 18/12/2019

FILE No : 21/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004192029313

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-03 BLOCK-A, 01 BLOCK-C, 01
BLOCK-E, 07 BLOCK-F & 03 BLOCK-G, ALFA SECTOR,
VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *मालाचल के प्रोब और पा-चल्य समल*

प्रतिवर्षीक पालन करण अनिवार्य है।

[Signature]
Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 20/12/2019

FILE No : 09/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004192804707

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-01 BLOCK-A, P.NO.-07

**BLOCK-C, P.NO.-01 BLOCK-G, P.NO.-01, BLOCK-H,
ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required :

माताचन के पुत्र और पल-पल
समस्त प्रतीकधर्मा का धामन कला आनंद है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 21/12/2019

FILE No : 02/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004193426660

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-05 BLOCK-B, P.NO.-01

BLOCK-D, P.NO.-06 BLOCK-E, P.NO.-12, BLOCK-F
ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction I

Required : *आवासीय के लक्ष्य में प्लान प्रमाणित
प्रतिबंधों का पालन करवा आवासीय है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेप्टी काउंसिल एवं लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 24/12/2019

FILE No : 18/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004193805760

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-01 BLOCK-B, P.NO.-07
BLOCK-D & P.NO.-04 BLOCK-H, ALFA SECTOR, VILL-
GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 05/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 04/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *मावाचील के एक मावा पर चलाएगा*

प्रतिबंधों का पालन करने आवश्यक है।


Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 23/12/2019

FILE No : 31/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004194150530

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-09, 11 BLOCK-E, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *महानगर के प्लान और प्लान के अनुसार*

फाउण्डेशन का प्लान काट कर दिया है

[Signature]
Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 20/12/2019

FILE No : 26/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004194535813

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-08 & 10, BLOCK-E, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 05/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 04/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के लिए और 10 चक्कर समेत*

प्राधिकार का प्रमाण माना जायेगा

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 21/12/2019

FILE No : 14/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004195014640

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-02 & 04, BLOCK-F, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction is

Required : *आवासीय केन्द्र और प्लॉट पर सख्त नियंत्रण*

का पालन करना अनिवार्य है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 17/12/2019

FILE No : 35/A.A/M.CELL/2018

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004195309100

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-03 & 05, BLOCK-F, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required :

आवासीय प्लान चलाय समस्त प्रतिबंधों
का पालन कल आधिकारिक है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 27/12/2019

FILE No : 34/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191004195523840

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-07 BLOCK-E, ALFA SECTOR,
VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के लिए और जल-चक्रा एमएस*

प्रतिष्ठानों का पालन करना आवश्यक है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 31/12/2019

FILE No : 15/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191004195906090

PROPERTY NO: P.NO.-12 BLOCK-E, ALFA SECTOR,
VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : आवासीय के प्रयुक्त आवासीय चरित्रा समूह

प्रतिबंधों का पालन करते आवासीय क्षेत्र

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैंड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 19/12/2019

FILE No : 37/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191004200134347

**PROPERTY NO: P.NO.-06 BLOCK-F, ALFA SECTOR,
VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required :

अनुचित के पूर्व अनुमति प्राप्त होना
आवश्यकता का पालन करना आवश्यक है

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 20/12/2019

FILE No : 36/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191004200403520

**PROPERTY NO: P.NO.-01, BLOCK-F, ALFA SECTOR,
VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF RESIDENTIAL

NAME : M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS : TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 05/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 04/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के प्लान और माफिया
हस्ताक्षर प्रोत्तरवर्द्धक को प्रालम्बक (को) जारी किया है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 27/12/2019

FILE No : 11/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191007124920087

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-09, 18 BLOCK-N, P.NO.-10
BLOCK-P & P.NO.-01 BLOCK-J1, ALFA SECTOR, VILL-
GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के पूरे भाग पर चालू समस्त
प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 27/12/2019

FILE No : 29/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191004201217220

**PROPERTY NO: P.NO.-09 BLOCK-B, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF RESIDENTIAL

NAME : M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS : TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के प्रयोग के लिए अनुमति दी जाती है।
श्री विवेक जी का प्रमाण पत्र अतिरिक्त है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।





LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 24/12/2019

FILE No : 25/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191004201447323

PROPERTY NO: P.NO.-06 BLOCK-B, ALFA

SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के इलाके में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।*
प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 31/12/2019

FILE No : 20/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005165456120

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-03, 05, 07, 09, 11, 14, 16, 18
BLOCK-K, P.NO.-15, 17, 19, 21, 23, 25 BLOCK-L, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के दृष्टि और प्लान के अंगत.
प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैंड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 23/12/2019

FILE No : 12/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005165909543

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-16, 18, 20, 22 & 24 BLOCK-L,
P.NO.-02, 04, 06, 08, 10, 12, 15 & 17 BLOCK-K & P.NO.-
02 BLOCK-J, ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR,
LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय प्रकल्प पर पूर्ण समस्त
प्रावधानों का पालन करने अनिवार्य है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 21/12/2019

FILE No : 03/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005170334803

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-02, 04, 06, 08, 10 & 12 BLOCK-
L, ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF : RESIDENTIAL

NAME : M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS : TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के प्रयोजन के लिए प्लान संशोधन
प्राप्त करने का पत्र जमा करना है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैंड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 23/12/2019

FILE No : 16/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005170731663

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-03, 05, 07, 09 & 11 BLOCK-L,
ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF RESIDENTIAL

NAME : M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS : TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के प्रयुक्त आवासीय प्लान चलाया जाएगा*

प्रतिबंधों का पालन करते रहेंगे

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सैफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA, LUCKNOW

PRINT DATE :- 31/12/2019

FILE No : 07/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005171007913

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-03 BLOCK-J & P.NO.-13

BLOCK-K, ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के लिए भूखंड प्राप्त हुआ है।
प्लान अर्जन का दायित्व कानून निर्धारित है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA, LUCKNOW

PRINT DATE :- 31/12/2019

FILE No : 04/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005171358133

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-01 BLOCK-J & P.NO.-01
BLOCK-K, ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR,
LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवश्यक है प्रस्तावित प्लान पर अनुमति
प्राप्त होने का पालन करने आवश्यक है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 23/12/2019

FILE No : 24/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005171632080

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-19 BLOCK-K, P.NO.-26

BLOCK-L, ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवश्यकतानुसार प्रत्येक अवकाश परमाणु
प्रमाण प्रमाणित कर चालक काले अनिवार्य है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 18/12/2019

FILE No : 13/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191005171930947

**PROPERTY NO: P.NO.-14 BLOCK-L, ALFA SECTOR,
VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के पूरे आवासीय परामर्श
प्रतिबन्ध का पालन करके जारी किया है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 23/12/2019

FILE No : 32/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191005172304213

**PROPERTY NO: P.NO.-01 BLOCK-L, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF RESIDENTIAL

NAME : M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS : TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 05/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 04/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के पूरक शिफ्ट पर यहाँ समेत
प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

45

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 24/12/2019

FILE No : 28/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191005172513690

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-13 BLOCK-L, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं
प्रतिबद्धता प्राप्त करना आवश्यक है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेप्टी काउंसिल एवं लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 27/12/2019

FILE No : 17/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191007122441157

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-02, 04, 05, 07, 11, 13, 16

BLOCK-N, P.NO.-02, 04, 06, 08 BLOCK-P, ALFA

SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *गोतापीन के प्रवेशना पर चर्चा होगी
प्रवेशना न पाकर नए अधिकार है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 27/12/2019

FILE No : 08/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191007123840560

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-03, 06, 08, 12 & 14 BLOCK-M,
ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *मातापिता के सुवर्णमय पुत्र सुख, प्रसाद
परिवारों का पालन करने की दिशा में*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 21/12/2019

FILE No : 30/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191007124411473

NON SCHEME :

PROPERTY NO: P.NO.-03, 06, 08, 12, 14, 15 & 17
BLOCK-N, P.NO.-03, 05, 07 & 09 BLOCK-P, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 05/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 04/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय के प्लान में या उसका समतुल्य प्रमाणों का प्रमाण कलकत्ता आधिकारिक है*

[Signature]
Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA
LUCKNOW

PRINT DATE :- 21/12/2019

FILE No : 23/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191007130108960

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-01, 10 BLOCK-N, P.NO.-01
BLOCK-P, P.NO.-02 BLOCK-J1, ALFA SECTOR, VILL-
GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 05/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 04/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवासीय का प्लान और फ्लोर प्लान समस्त
प्रतिबंधों का पालन करके आवेदन है।*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 24/12/2019

FILE No : 22/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191007131037020

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-01 BLOCK-M, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवश्यकता है कि प्रस्तावित भवन का निर्माण केवल निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो*

होगा कि भवन का निर्माण केवल निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 03/01/2020

FILE No : 33/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191007125457117

**PROPERTY NO: P.NO.-09 & 15, BLOCK-M, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF RESIDENTIAL

NAME : M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS : TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction

Required : *मातापील के पूरे शीतल मल चलाए जाएंगे
प्रतिबन्ध का पालन करते रहेंगे*

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 03/01/2020

FILE No : 10/A.A/M.CELL/2019

WARD :

NON SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191004200632127

**PROPERTY NO: P.NO.-07, BLOCK-B, ALFA
SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR, LKO.**

SITE OF RESIDENTIAL

NAME : M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS : TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 04/12/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 03/12/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवश्यक है प्रत्येक शर्त का पालन करना*

एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैंड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA

LUCKNOW

PRINT DATE :- 03/01/2020

FILE No : 19/A.A/M.CELL/2019

WARD :

PERMIT NO : MAP 20191007123221427

NON SCHEME :

**PROPERTY NO: P.NO.-02, 04, 05, 07, 11 & 13,
BLOCK-M, ALFA SECTOR, VILL-GHAILA, ALINAGAR,
LKO.**

SITE OF

RESIDENTIAL

NAME :

M/S SHALIMAR KSMB PROJECTS

ADDRESS :

TITANIUM SHALIMAR CORPORATE PARK, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LKO.

Sanction vide order dated 29/11/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 28/11/2024 or expiry date of lease deed whichever is earlier. Restriction If

Required : *आवश्यकता के मुताबिक शीघ्र ही चालू रखना*

प्रोत्साहन के तहत कार्य करवाया है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

: प्रतिबन्ध :

1. विभिन्न भूखण्डों को मिलाकर प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से सामूहिक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
3. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
6. यह स्वीकृति मात्र एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
10. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।